


**आवेदन पत्र का प्रारूप**  
(स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट एवं सहायक ग्रेड-तीन के पदों पर नियुक्ति हेतु)

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
उत्तर बस्तर कांकर छत्तीसगढ़

आवेदक का  
स्वहस्ताक्षरित  
नवीनतम पासपोर्ट  
साईज रंगीन फोटो,  
नाम एवं दिनांक  
सहित

01. आवेदित पद का नाम : .....
02. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) : .....  
(अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) : .....
03. लिंग (पुरुष/ महिला) : .....
04. पिता/पति का नाम : .....
05. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता : .....  
.....  
.....  
(ब) स्थायी पता : .....  
.....  
.....
06. (अ) जन्म तिथि अंको में : .....  
शब्दों में : .....
- (ब) दिनांक 01 जनवरी 2022 को आयु: ..... वर्ष ..... माह ..... दिन
07. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल : .....  
निवासी है ? हां/ नहीं(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें )
08. क्या आवेदक छ.ग. शासन द्वारा छ.ग : .....



के लिए घोषित अ.जा./ अ.ज.जा./अ.पि.व. का सदस्य है ? हां/नहीं (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें )

09. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ : .....

अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें

10. क्या आवेदक विकलांग है ? हां/ नहीं : .....

(यदि हां, तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

11. विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत : .....

12. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? : .....

हां/नहीं (यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

13. रोजगार कार्यालय का जीवित : .....

पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (यदि हो तो)

14. रोजगार कार्यालय का नाम : .....

15. क्या आप विवाहित हैं ? हां/नहीं : .....

16. यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि: .....

17. जीवित बच्चों की संख्या : .....

क्र.	बच्चे का नाम	लिंग	जन्म तिथि
1	2	3	4
1.			
2.			



18. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/ वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक
1	2	3	4	5	6

19. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय : .....  
संस्था में सेवारत हैं ? हां/ नहीं(यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

20 आवेदक का मोबाईल नं./ई-मेल आईडी

(यदि हो तो) मो0नं0 ..... ई-मेल आईडी0. ....

21. संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची :-

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

// घोषणा पत्र //

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी / नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी ।

दिनांक :

स्थान :



आवेदक का हस्ताक्षर  
नाम एवं पूरा पता

चयन समिति द्वारा चयन प्रक्रिया एवं नियमावली निर्धारित कर निम्नानुसार विज्ञापन प्रारूप जारी करने की अनुशंसा करती है :-

**आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अंतिम तिथि 20 जनवरी 2022**

उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायिक जिला स्थापना में निम्नानुसार स्टेनोग्राफर हिन्दी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोटाइपिस्ट एवं सहायक ग्रेड-तीन के रिक्त पदों की सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-1-1/2012/1-3 अटल नगर रायपुर दिनांक 30.05.2019 के परिपेक्ष्य में कांकेर जिला के मूल निवासियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

**बैकलॉग रिक्त पदों का विवरण**

क्र.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित				अन्य पिछड़ा वर्ग				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जन जाति			
			मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	विकलांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	विकलांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	विकलांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	विकलांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	स्टेनोग्राफर हिन्दी	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2	स्टेनोग्राफर अंग्रेजी	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	स्टेनो टाइपिस्ट	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	सहायक ग्रेड-तीन	4	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-

टीप :- (01) पदों की संख्या परिवर्तनीय है।

(02) महिलाओं के नियमानुसार होरिजान्टल आरक्षण दिया जावेगा। किसी कारणवश महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि पद रिक्त रह जाता है, तो ऐसे पद अग्रणित नहीं किया जावेगें। वरण उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरे जा सकेगें।

**भर्ती की पात्रता एवं शर्त :-**

(01) हिन्दी स्टेनोग्राफर पद के लिए :-

अ- छत्तीसगढ़ पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स लेवल-07 वेतनमान (रूपये 28700-91300)

ब- शैक्षणिक योग्यता -



1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए 45 प्रतिशत अंकों तथा आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंकों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण ।
2. छ0ग0 या म0प्र0 शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र ।
3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाण-पत्र के साथ एम.एस. वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान ।

**(02) अंग्रेजी स्टेनोग्राफर पद के लिए :-**

अ- छत्तीसगढ़ पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत मैक्ट्रिक्स लेवल-07 वेतनमान (रु. 28700-91300)

ब- शैक्षणिक योग्यता -

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए 45 प्रतिशत अंकों तथा आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंकों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण ।
2. छ0ग0 या म0प्र0 शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र ।
2. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाण-पत्र के साथ एम.एस. वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान ।

**(03) स्टेनोटाइपिस्ट पद के लिए :-**

अ- छत्तीसगढ़ पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत मैक्ट्रिक्स लेवल-04 वेतनमान (रु. 19500-62000)

ब- शैक्षणिक योग्यता -

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए 45 प्रतिशत अंकों तथा आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंकों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण ।
2. छ0ग0 या म0प्र0 शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र ।
3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाण-पत्र के साथ एम.एस. वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान ।

**(04) सहायक ग्रेड-3 के पद के लिए :-**

अ- छत्तीसगढ़ पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत मैक्ट्रिक्स लेवल-04 वेतनमान (रूपये 19500-62000)



ब- शैक्षणिक योग्यता -

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए 45 प्रतिशत अंकों तथा आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंकों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण ।
2. छ0ग0 या म0प्र0 शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र ।
3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाण-पत्र के साथ एम.एस. वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान ।

**महत्वपूर्ण :-**

01. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें।
02. परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है चयन के किसी भी स्तर पर आवेदन के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी ।
03. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ावर्ग के लिए आरक्षित पद केवल कांकेर जिला के मूल निवासी के लिए आरक्षित हैं। किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित वर्ग उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन नहीं होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त वर्ग उसी प्रवर्ग के पुरुष वर्ग के उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे ।

**आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें**

01. रोजगार कार्यालय में उनका पंजीयन जीवित हो (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)।  
अ. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

02. दिनांक 01 जनवरी-2022 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो परन्तु 35 वर्ष की आयु पूरी न की गई हो ।

03. **उच्चतम आयु सीमा में छूट :-**

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयुसीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :-

3 (एक) (1) यदि अभ्यर्थी छ.ग. शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

3 (एक) (2) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ-72593/1 आ.प. दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।



- 3 (एक) (3) छत्तीसगढ़ शासन स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कान्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेगी, यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
- 3 (एक) (4) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- स्पष्टीकरण:-** छटनी किये गये शासकीय सेवक, से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया है।
- 3 (एक) (5) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयुसीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 3 (एक) (6) महिलाओं के लिए आयुसीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी। जो कि उसके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।
- 3 (एक) (7) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 12/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जावेगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों के रूप में सेवा की है। इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयुसीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /विधवा/ परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।
- 3 (एक) (8) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा जिस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी। किन्तु किसी भी दशा में इनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।



- 3 (एक) (9) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयुसीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी ।
- 3 (दो) (1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्डधारी आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी ।
- 3 (दो) (2) आदिमजाति हरिजन एवं पिछड़ावर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्णा सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी 3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयुसीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी ।
- 3 (दो) (3) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी 3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी ।

- टीप :-** 01. बिन्दु क्रमांक 3 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी ।
02. बिन्दु क्रमांक 3 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी । यह छूट बिन्दु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी ।

- उदाहरण :-** यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ-साथ ग्रीन कार्ड धारी तथा विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयुसीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिकतम लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जावेगी । ग्रीन कार्ड अथवा अंतरजातीय विवाह के निर्धारित छूट नहीं दी जावेगी । यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक केवल ग्रीन कार्ड धारक हों तो उन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के लिए आयुसीमा में 5 वर्ष की छूट के साथ ग्रीन कार्ड धारकों के लिए 2 वर्ष की और अधिकतम आयुसीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा । अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अंतरजातीय विवाह के निर्धारित छूट नहीं दी जावेगी ।
03. उपरोक्त 3 (एक) और (दो) उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी ।
04. छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर का पत्र क्रमांक एफ-3-2/2015/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2019





के अनुसार अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत रहेगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :-

01. आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 20 जनवरी 2022 की संध्या 5:00 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद स्टेनोग्राफर (हिन्दी), स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी), स्टेनोटाइपिस्ट एवं सहायक ग्रेड-तीन के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ के नाम से रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा स्वयं न्यायालयीन/कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पेश कर प्रस्तुत किये जा सकते हैं। दिनांक 20 जनवरी 2022 की संध्या 5:00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्रों के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करना आवश्यक है।
02. जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण-पत्र अथवा हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
03. ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
04. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुए तीन लिफाफे प्रत्येक पर 5/- की डाक टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करें तथा दो पासपोर्ट साईज फोटो पृथक से भेजें।
05. आवेदन का प्रारूप एवं अन्य जानकारी जिला न्यायालय उत्तर बस्तर कांकेर के वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/kanker> पर उपलब्ध है, जहां पर से आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।
06. ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें पृथक-पृथक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
07. आवेदन -पत्र में चस्पा रंगीन स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित फोटो होना चाहिये तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
08. ई-मेल, फैक्स, कोरियर के द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
09. बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।



10. आवेदक को चाहिये की वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

**नियुक्ति हेतु चयन विधि :-**

**प्रथम भाग लिखित परीक्षा :-**

01. उपरोक्त रिक्त पदों पर चयन हेतु एक स्वतंत्र लिखित परीक्षा चयन समिति जिला एवं सत्र न्यायालय उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा आयोजित की जावेगी। लिखित परीक्षा 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के होंगे। उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान एवं सम सामयिक व कम्प्यूटर विषयों के होंगे। उक्त परीक्षा की अवधि कुल 1:00 घंटा की होगी। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होंगे। अभ्यर्थी को न्यूनतम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्राप्त अंको के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार कर एक पद हेतु पांच उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु बुलाया जावेगा।

**अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी :-**

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

**द्वितीय भाग कौशल परीक्षा :-**

**स्टेनोग्राफर हिंदी/अंग्रेजी एवं स्टेनोटाइपिस्ट के पद हेतु :-**

01- डिक्टेशन - 40 अंक

अभ्यर्थियों को 5 मिनट का डिक्टेशन दिया जायेगा। जिसे अभ्यर्थियों को 45 मिनट के अंदर टायपिंग करना होगा। प्रत्येक 6 शब्द की गलती के लिये एक अंक काटे जायेंगे।

02- टायपिंग - 60 अंक

अभ्यर्थियों को 400 शब्द के गंधाश को 10 मिनट में करने हेतु दिया जावेगा। हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक 6 शब्द की अशुद्धि पर 1 अंक काटा जावेगा।

**सहायक ग्रेड-तीन :-**

डिक्टेशन - 40 अंक ।  
टायपिंग - 60 अंक ।



अभ्यर्थियों को 400 शब्द के गद्यांश को 10 मिनट में करने हेतु दिया जावेगा। हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक 6 शब्द की अशुद्धि पर 1 अंक काटा जावेगा।

**तृतीय भाग साक्षात्कार :-**

सभी पद हेतु साक्षात्कार हेतु 15 अंक।

साक्षात्कार बोर्ड में तीन सदस्य होंगे। प्रत्येक सदस्य द्वारा 5-5 अंक दिये जायेंगे।

01. यह स्पष्ट किया जाता है कि, प्रायोगिक परीक्षा (हिन्दी मुद्रलेखन एवं कम्प्यूटर आपरेटिंग) में अनुपस्थित रहने पर आवेदक को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा, भले ही लिखित परीक्षा में उनके प्राप्तांक चयनित अंतिम उम्मीदवार, जो दोनों लिखित एवं कौशल परीक्षा में बैठा हो, से अधिक क्यों न हो। उपरोक्त दोनों परीक्षा (लिखित परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा) में प्राप्तांकों के आधार पर योग्य उम्मीदवारों की श्रेणीवार/वर्गवार तथा अलग से प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी तथा प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी। परन्तु ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि नियुक्तकर्ता अधिकारी का ऐसी जांच के बाद जो आवश्यक समझी जाये इस बात से समाधान न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सब प्रकार से योग्य है। उपरोक्त पदों पर प्रावीण्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।
02. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जावेगी।
03. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर को होगा।
04. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
05. चयनित उम्मीदवार को पुलिस सत्यापन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा मण्डल से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा तथा आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर से किये जाने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।



06. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर जिला- रायपुर के वित्त निर्देश 21/2020 के ज्ञापन क्रमांक 372/वि/नि/चार/2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 29/07/2020 के कंडिका 4 (1) के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित समस्त कर्मियों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेड देय होगा :-

प्रथम वर्ष :- उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत,

द्वितीय वर्ष :- उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत,


तृतीय वर्ष :- उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत,

परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने उपरांत न्यूनतम वेतनमान देय होगा।

07. चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर का निष्कर्ष अंतिम एवं बंधनकारी होगा।


**अन्य आवश्यक सूचनाएं :-**

जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र उपयुक्त पाये जायेंगे उन्हें लिखित परीक्षा तथा प्रायोगिक कौशल परीक्षा हेतु सूचना पत्र उनके द्वारा आवेदन पत्र के साथ-साथ संलग्न किये गये डाक लिफाफा के माध्यम से जारी किये जायेंगे। उपयुक्त पाये गये तथा निरस्त किये गये आवेदन पत्रों से संबंधित उम्मीदवारों की पृथक-पृथक सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर यथाशीघ्र चस्पा कर दी जायेगी। जिन उपयुक्त आवेदकों को परीक्षा तिथि के पूर्व तक लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो वे परीक्षा तिथि को निर्धारित समय के पूर्व अपने आवेदन पत्र जमा करने के प्रमाण-सहित उपस्थित हो सकेंगे। परीक्षण उपरांत उनकी उम्मीदवारी यदि सही पाई गई तो उन्हें लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकेगी। प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया पूर्ण होने पर यथाशीघ्र लिखित परीक्षा तिथि के पूर्व तक जिला न्यायालय की सूचना पटल पर भी उपयुक्त उम्मीदवारों की सूची उपलब्ध कराई जावेगी। कौशल परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों



को पृथक से डाक, ई-मेल एवं एस0एम0एस0 से सूचित किया जावेगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय या अन्य कोई सुविधा देय नहीं होगा। निर्धारित परिसर में उम्मीदवारों को रोल नम्बर एवं परीक्षा कक्ष की जानकारी दी जावेगी। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी। परीक्षा तिथि में किसी अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन होने पर उसकी सूचना उम्मीदवारों को पृथक से दी जायेगी।

उक्तानुसार चयन समिति तृतीय श्रेणी कर्मचारी स्टेनोग्राफर हिंदी के 2 पद, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के 1 पद, स्टेनोटाइपिस्ट के 1 पद एवं सहायक ग्रेड-3 के 4 पद की सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विज्ञापन का प्रारूप व नियमावली तैयार कर अनुशंसा के साथ माननीय जिला न्यायाधीश उत्तर बस्तर कांकेर के समक्ष प्रस्तुत है।

  
अध्यक्ष,

चयन समिति

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
उत्तर बस्तर कांकेर